न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-582/2026

सी0 एन0 आर0 संख्या-UPBP010013682026

(रजिस्टर संख्या-409/2026)

लल्लू उर्फ अतीकुर्रहमान प्रति उ0प्र0 राज्य

UPBP010013682026

मुकदम अपराध संख्या-43/2026
धारा-87, 137(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता थाना-ललिया जनपद-बलरामपुर

21.05.2026

पत्रावली पेश हुई। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थनापत्र 9ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त प्रकरण में दौरान विवेचना पाक्सो अधिनियम की धाराओं की वृद्धि की गई है। ऐसी दशा में प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं रह गया है। इस कारण उक्त प्रार्थनापत्र पर आवेदक बल नहीं दे रहा है। अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिए जाने की अनुमति चाही गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वयं प्रार्थनापत्र 9ख प्रस्तुत करके जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिए जाने का कथन किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र 9ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रार्थनापत्र 9ख स्वीकार किया जाता है।

जमानत प्रार्थनापत्र 3क पर बल न देने की अनुमति दी जाती है।

तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र 3क बल न दिए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

Digitally signed by UTKARSH
CHATURVEDI
Date: 2026.05.21 19:30:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court